

(5)

प्रेषण-

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में-

प्रधानाधार्य/प्रबन्धक,
विद्यार्थी, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
133 भाइल्स स्टोन, लड्डूकीरी रोड Badhedi

प्रजिला-मुजफ्फरनगर। पिन-251307

/टी-3/रा०प०/भा०सं०संरतुति

८१-१२-२५०९
, २०१०

पत्रांक तथानक : दिनांक :
दिवय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औप्र० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का रथायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के साबन्ध में।

महोदय-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14/7/2009 पर दिनांक 27/11/2009 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्थान की गयी		अन्युविति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1.	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-14/7/2009 w.e.f.Feb 2010
2.	Electrician	2(1+1)	2(1+1)	*Tools & Equipment is not as per NCVT norms.
3.	Draughtsman Civil	2(1+1)	2(1+1)	*Rejected
4.	Draughtsman Mech.	2(1+1)	2(1+1)	*Rejected

DGET-6/24/174/2009 -TC DATED 27/11/2009

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०स०ई०आ०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस०आ०ई०आ०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आ०ई०आ०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू०सी०-विचाराधीन
- (5) एन०आ०-संस्थान नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/नुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या विन्दुवार साझे सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

दिशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के बाहिंत व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को असामान्य अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

पत्रांक : ०८९६ /टी-३/रा०प०/भा०सं०संरतुति/

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षा)
तददिनाकित

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
संपुर्ण निदेशक (प्रशि/शिक्षा) मेरठ को इच्छा आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष मिन्टु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संविधान संस्थान/केन्द्र की अग्रिमता एवं अवगति हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षा)

35

प्रेषक,
निदेशक,
प्रांशुदण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में
प्रधानमंत्री/प्रबन्धक,
विवर्योर प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
लूटकी रोड, एन०एच०५४ भद्रेकी
मुजफ्फरनगर।

पत्राक: /टै-३/रा०प०/भा०स०संस्तुति
विषय:- स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ०प्र० केन्द्रों के व्यवसाय/पूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०इ०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महादय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केन्द्र की स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14-01-2012 पर दिनांक 25-09-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से अन्वित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०इ०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician Addl. 01 Units		Addl.one unit Total 3(1+1+1)	DIR-14/01/12 SIR-22-08-12 w.e.f. Aug.2012 *Already Rejected in the meeting held on 28-05-12 & no document for Fitter trade.
2-	Fitter Addl. 01 Units		*Rejected	

DGET-6/24/174/2009-TC DATED 25/09/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-


- (1) ए०स०सी०आ०इ०आ०र०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
 - (2) ए०स०आ०इ०आ०र०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
 - (3) डी०आ०इ०आ०र०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
 - (4) यू०सी०-विवारणीन
 - (5) ए०न०आ०र०-संस्तुति नहीं किया गया।
 - (6) ए०न०सी०-विचार नहीं किया गया।
2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समझौतेमत करके अपनी आख्या बिन्दुवार नाम्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही को जा सके।
- विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वाचित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि वह भी तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परोक्षा में समिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(रामेश्वर देव)

अपर निदेशक (प्रशि/रिक्ष)

पत्राक 619 /टै-३/रा०प०/भा०स०संस्तुति/
प्रतिलिपि निम्नलिखित ओं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
राष्ट्रीय निदेशक (प्रशि/रिक्ष)मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा
संवित रारथान/केन्द्र जो भी अपने स्तर से अवगत कराये।
साक्षित सरथान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
गाड़ काइल हेतु।
उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगढ़, लखनऊ।


रामेश्वर देव (प्राप्ति/रिक्ष)